

F.No. I-11015/01/2015-Infra  
भारत सरकार / Government of India  
कारपोरेट कार्य मंत्रालय/Ministry of Corporate Affairs

5<sup>th</sup> Floor, 'A' Wing, Shastri Bhavan  
New Delhi-110001

**Subject : Empanelment of PSUs/PWDs under Ministry of Corporate Affairs**

Ministry of Corporate Affairs intends to empanel Central/State Governments /Public Sector Undertakings and Central/State Public Works Departments which are notified by the Ministry of Housing and Urban Affairs, Government of India or set up by the Central or State Government to carry out civil or electrical works including Air Conditioning/Fire Fighting System etc. in the Ministry's owned and hired premises across the country as per requirements from time to time.

2. Total cost of the both major and minor works may vary from minimum of Rs.1 Crore to 15 Crores and more. Agencies shall be required to comply with the provisions of General Financial Rules, 2017 and submit Bank Guarantee of equivalent amount at the time of seeking advance.

3. Interested and qualified agencies may submit their offers in the prescribed format including agency charges latest by 31<sup>st</sup> August 2018 to Shri Tharvinder Singh, Under Secretary, Infra Division, Ministry of Corporate Affairs. Prescribed format and detailed terms and conditions may be accessed from the website of the Ministry(<http://www.mca.gov.in>) under the column QUOTATIONS & TENDERS.



(J S AUDHKHASI)  
Deputy Secretary to the Govt. of India  
Tel. No-23381615



**Subject: - Empanelment of PSUs/PWDs under Ministry of Corporate Affairs**

Ministry of Corporate Affairs intends to prepare a panel of Central/State Public Sector Undertakings, Central/State Public Works Department which are interested in undertaking, as per requirements of the Ministry from time to time, original works of interior furnishing and renovation work including civil, plumbing, electrical, fire alarm, firefighting, access control, site and furniture works etc. in its field offices/organisations across the country having owned/hired office accommodation.

2. The details of the works involved and other terms and conditions are available in the annexure I and annexure II.

3. Eligible and interested Central/State Public Sector Undertakings and Centre /State Public Works Departments may submit the details in the prescribed proforma to Shri Tharvinder Singh, Under Secretary, Ministry of Corporate Affairs, Room No.520, A Wing, Shastri Bhavan, New Delhi-110001 latest by **31<sup>st</sup> August, 2018.**

**PROFORMA**

Name of Centre/ State PSU And PWD	Complete Address	Name of the Contact officers and Mobile No. email address	Lump sum Service charges, if any	Any other charges, if any	Please indicate whether you can take up work on all India basis.	Names of 5 prestigious works executed in preceding 5 years with contract value and time of completion from the date of commencement	GST Registration No.
1	2	3	4	5	6	7	8

**Annexure I****TERMS AND CONDITIONS**

1. Compliance with provisions of General Financial Rules 2017
2. Furnishing of Bank Guarantee, wherever necessary before release of funds
3. Furnishing of Utilisation Certificate as per GFRs 2017
4. Prices of items as per prevailing DSR of CPWD
5. Non DSR items as per prevailing market rate
6. Commencement of work within 7 days or earlier from the date of work order
7. Timely completion of work as per agreement failing which 2% of the total contract value per week subject to the maximum of 10% of the contract value will be deducted
8. Defect liability period:- 12(twelve) months from the date of virtual completion or handing over of completed work to the Ministry whichever is later



## Annexure II

## GENERAL TYPE OF WORKS

- i) Civil
- ii) Electrical
- iii) Interior furnishing
- iv) Renovation
- v) Plumbing and sanitary
- vi) Fire Alarm
- vii) Fire Fighting
- viii) Access Control
- ix) Site and furniture work
- x) Computer and Internet cabling
- xi) Ducting work for air conditioning
- xii) Installation work for video conferencing and projector
- xiii) Any other work as per requirement



फा.सं. आई-11015/01/2015-इंफ्रा

भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

5वां तल, ए विंग, शास्त्री भवन,


नई दिल्ली-110001

**विषय: कारपोरेट कार्य मंत्रालय के अधीन पीएसयू/पीडब्ल्यूडी की सूची बनाना।**

कारपोरेट कार्य मंत्रालय केंद्रीय/राज्य सरकारों के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और केंद्रीय/राज्य लोक निर्माण विभागों को जो आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित हैं या केंद्रीय या राज्य सरकारों द्वारा स्थापित हैं, सिविल या इलेक्ट्रिकल्स कार्य जिसमें एयर कंडीशनर/अग्निशमन प्रणाली इत्यादि शामिल हैं, को मंत्रालय के स्वामित्व वाले या देश में किराए पर लिए गए परिसरों में समय-समय पर आवश्यकतानुसार कार्य करने के लिए सूची बनाना चाहता है।

2. मुख्य और लघु कार्यों दोनों की कुल लागत न्यूनतम एक करोड़ रुपए से 15 करोड़ रु या अधिक तक हो सकती है। एजेंसियों को सामान्य वित्तीय नियम, 2017 के प्रावधानों का अनुपालन करना होगा और अग्रिम मांगने के समय समकक्ष राशि की बैंक गारंटी प्रस्तुत करनी होगी।

3. इच्छुक और योग्य एजेंसियां अपने प्रस्ताव निर्धारित प्रपत्र में एजेंसी प्रभारों सहित दिनांक 31 अगस्त, 2018 तक श्री धरविन्दर सिंह, अवर सचिव, भारत सरकार, इंफ्रा प्रभाग, कारपोरेट कार्य मंत्रालय को प्रस्तुत करें। निर्धारित प्रपत्र और विस्तृत शर्तें और दशाएं मंत्रालय की वेबसाइट (<http://www.mca.gov.in>) पर कॉलम क्वोटेशन एंड टेंडर्स के अधीन देखी जा सकती हैं।

  
(जे.एस. औधखासी)

उप सचिव, भारत सरकार

दूरभाष: 23381615



60470/2018/1/का-1/का-1/कारपोरेट कार्य मंत्रालय के अधीन पीएसयू/पीडब्ल्यूडी की सूची बनाना

कारपोरेट कार्य मंत्रालय केंद्रीय/राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों, केंद्रीय/राज्य सार्वजनिक कार्य विभाग की एक सूची तैयार करना चाहता है जो मंत्रालय के समय-समय पर आवश्यकता अनुसार आंतरिक साज सज्जा और नवीकरण कार्य जिसमें सिविल, इलेक्ट्रिकल, फायर अलार्म, आग बुझाना, पहुंच नियंत्रण, स्थल और फर्नीचर कार्य इत्यादि देश में फील्ड कार्यालय/संगठनों में जो स्वयं/किराए के कार्यालयों में हैं, कार्य करेंगे।

2. निहित कार्यों का वर्णन और अन्य शर्तें एवं दशाएं अनुलग्नक-1 और अनुलग्नक-11 में उपलब्ध हैं।

3. योग्य और इच्छुक केंद्रीय/राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और केंद्रीय/राज्य सार्वजनिक कार्य विभाग निर्धारित प्रपत्र में विवरण श्री धरविन्द्र सिंह, अवर सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, कमरा संख्या 520, ए विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली - 110001 को 31 अगस्त, 2018 तक भेजें।

प्ररूप

केंद्रीय/राज्य पीएसयू और पीडब्ल्यूडी का नाम	पूरा पता	संपर्क अधिकारियों का नाम और मोबाइल नं. और ई-मेल पता	कुल सेवा शुल्क यदि कोई हो	कोई अन्य शुल्क यदि कोई हो	कृपया दर्शाएं क्या आधार पर कार्य ले सकते हैं	5 प्रतिष्ठित कार्य जो पिछले पांच वर्षों द्वारा पूरे किए गए थे के नाम साथ में संविदा मूल्य और कार्य शुरू करने की तारीख से पूरा करने के समय के साथ	जीएसटी रजिस्ट्रेशन संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8

अनुलग्नक-1

निबंधन एवं शर्तें

- सामान्य वित्तीय नियम, 2017 के प्रावधानों की अनुपालना
- निधियों के जारी होने से पूर्व जहां कहीं आवश्यक हो, बैंक गारंटी प्रस्तुत करना
- जीएफआर, 2017 के अनुसार उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना।
- मदों का मूल्य सीपीडब्ल्यूडी की प्रचलित डीएसआर के अनुसार।
- गेर डीएसआर मद प्रचलित बाजार दर के अनुसार
- कार्य की शुरुआत 7 दिवस के भीतर या पहले कार्य आदेश की तिथि से
- करार के अनुसार समय पर कार्य पूरा करना जिसकी चूक करने पर कुल संविदा मूल्य प्रति सप्ताह का 2% और संविदा मूल्य का अधिकतम 10% काटा जाएगा।
- दोष दायित्व अवधि - 12 (बारह) माह वास्तविक कार्य पूरा होने की तारीख या मंत्रालय को पूरा किया गया कार्य सौंपने जो भी बाद में हो।



60470/2018/Infra-MCA

## सामान्य प्रकार के कार्य

- i. सिविल
- ii. इलेक्ट्रिकल्स
- iii. आंतरिक साजसज्जा
- iv. नवीकरण
- v. नलसाज और सेनेटरी
- vi. फायर अलार्म
- vii. अग्निशमन
- viii. पहुंच नियंत्रण
- ix. साइट और फर्नीचर कार्य
- x. कंप्यूटर और इंटरनेट केबल
- xi. एयर कंडीशनर के लिए डक्टिंग कार्य
- xii. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और प्रोजेक्टर हेतु स्थापना कार्य
- xiii. आवश्यकतानुसार कोई अन्य कार्य